सं0– 510 / 23–12–17–04(रा0) / 2012

प्रेषक,

पंकज यादव
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2017

विषय– विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित योजना, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक–910 / 1–09 / यूपीसीआरएनडीपी / सीईडब्लूबी / 2014 दिनांक 26.08.16 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक से पोषित होने वाली परियोजनाओ के क्रियान्वयन हेतु प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व से ही उ0प्र0 स्टेट रोड रिसेटिलमेन्ट एवं रिहैबिलेटेशन पालिसी, अप्रैल 2000 से प्रख्यापित है जिसमें एनक्रोचर्स एवं स्क्वैटर्स को मुआवजा देने की व्यवस्था प्रस्तर–4 में की गयी है। अतः उक्त नीति के अनुक्रम में पुर्नवास एव पुर्नस्थापन नीति लागू करने की विश्व बैंक की अपेक्षानुसार सहमति प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पंकज यादव)
सचिव

सं0– (1) / 23–12–17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. उप सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
विशेष सचिव

लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश कोर रोड
नेटवर्क विकास
कार्यक्रम
पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास नीति

अप्रैल, 2017

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में शासन द्वारा अनुमोदित पालिसी के अंश ही मान्य

–: सम्पर्क स्थान :–

लखनऊ मुख्यालय हेतु

1. मुख्य अभियंता विश्व बैंक परियोजना (मार्ग),
   लोक निर्माण विभाग, उ.प्र., निर्माण भवन,
   96– महात्मा गॉधी मार्ग लखनऊ 226001 (उ.प्र.)
   दूरभाष :– 0522–2236496
   फैक्स :– 0522–2236556
   ई–मेल :– cewbuppwd@gmail.com
2. प्रोजेक्ट डायरैक्टर / पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिकारी
   प्रोजेक्टर इम्पलीमेन्टेश्न यूनिट (पी.आई.यू.)
   स्टेट रोड प्रोजेक्ट – 2 (विश्व बैंक)
   लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. निर्माण भवन,
   96– महात्मा गॉधी मार्ग लखनऊ 226001 (उ.प्र.)
   दूरभाष :– 0522–4080538
   फैक्स :– 0522–2236556
   ई–मेल :– cewbuppwd@gmail.com

जनपदों हेतु

1. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ/कानपुर/मुरादाबाद
3. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खंड, लोक निर्माण विभाग लखनऊ/सीतापुर/कानपुर/झांसी/ मुरादाबाद/अलीगढ़

1. प्रस्तावना

1.1 उत्तर प्रदेश सरकार की कोर रोड नेटवर्क में सुधार करने की योजना है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य राज्य के सड़क परिवहन नेटवर्क में सुधार करना है और उसको सुदृढ़ करना है।

1.2 सड़क उन्नयन के सकारात्मक पहलुओं के अलावा परियोजना के कारण भूमि, भवनों, अन्य अचल संपत्तियों एवं अजीविका के विभिन्न श्रोतों का नुकसान हो सकता है। इस दस्तावेज में परियोजनाओं के कारण होने वाले नकारात्मक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों को कम करने और उनका शमन करने हेतु पालन करने के लिए सिद्धान्तों एवं तरीकों का वर्णन किया गया है ताकि प्रभावित लोग अपने जीवनयापन के मानक को फिर से बहाल कर सकें और उसमें सुधार कर सकें।

1.3 यह नीति अधिग्रहण, पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों द्वारा अनुवर्ती सम्पूरकों तथा अनैच्छिक पुर्नस्थापना पर विश्व बैंक संचलात्मक नीति 4.12 के अधीन हैं।

2. वृहद सिद्धान्त

2.1 यह नीति मान्यता देती है कि अनैच्छिक पुर्नस्थापना पूर्व उत्पादन तंत्र को तथा जीवन के तरीके को छिन्न-भिन्न कर देती है, इस तरह के सभी पुनर्वास कार्यक्रमों में कल्याण दृष्टिकोण की बजाय विकासपरक दृष्टिकोण को अपनाया जायेगा। ये दिशानिर्देश परियोजनाओं के दौरान परियोजनाओं से प्रभावित लोगों (PAP) के घरों और उनकी अजीविकाओं के पुनर्स्थापन में सहायता का विवरण देते है। पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास (R&R) नीति के वृहद सिद्धान्त नीचे दिये गये हैं-

(क) विस्थापन सहित सभी नकारात्मक प्रभावों को, जहाँ भी संभव हो, सभी व्यवहार्य वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों का प्रयास करके बचाना चाहिए या उन्हें कम करना चाहिए।

(ख) जहाँ नकारात्मक प्रभावों से बचा नहीं जा सकता है, या तो प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करने के या कम से कम उनके पुराने जीवनस्तर को उन पर कोई लागत डाले बिना बहाल करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

(ग) परियोजना चक्र के दौरान लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(घ) परियोजना के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

2.2 परियोजना के मुख्यतः तीन प्रभाव होंगे जिनके लिए शमनकारी उपायों की आवश्यकता होती है। ये हैं-

क. अचल परिसंपत्तियों, जैसे भूमि, मकान, वाणिज्यिक संस्थान, कुएँ तालाब इत्यादि का नुकसान

ख. आजीविका या आमदनी के अवसरों का नुकसान, जैसे कृषि श्रमिकों, वाणिज्यिक संस्थानों में सहायक इत्यादि के लिए।

ग. सामुदायिक संपत्ति संसाधनों के नुकसान के रूप में समुदाय पर प्रभाव।

प्रथम दो श्रेणियाँ चिन्हित की गयी जनसंख्या पर प्रत्यक्ष प्रभावों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिन लोगों के प्रभावित होने की संभावना होती है उनका सर्वेक्षण और पंजीकरण किया जायेगा, और परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन आधाररेखा सामाजिक आर्थिक डेटा के विरूद्ध दीर्घकालीन प्रभावों की तुलना करेंगे।

तीसरी श्रेणी एक सामूहिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें समूह अभिविन्यासित प्रकृति के लाभ और नुकसान किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालने के रूप में मापनयोग्य नहीं हैं। शमन एवं

समर्थन तन्त्र सामूहिक रूप से अभिविन्यासित होगा और निगरानी ऐसे समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

2.3 निजी भूमि का समस्त अधिग्रहण शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग–13 दिनांक 19-03-2015 और उसके अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार प्रत्यक्ष क्रय द्वारा किया जायेगा। हालांकि भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्राविधान तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूरक प्राविधान प्रत्यक्ष क्रय विफल होने के मामले में प्रभावी होंगे।

क) परिसंपत्तियों के मूल्य एवं अजीविका के नुकसान के प्रतिस्थापकों पूरा करने के लिए इस नीति के वृहद सिद्धांतों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

ख) इसके अलावा यह नीति भूमि के अलावा अजीविका के नुकसान एवं परिसंपत्तियों के मूल्य के प्रतिस्थापन हेतु गैर टाइटल धारकों को सहायता उपल्बध कराने को मान्यता देती है।

ग) जहाँ पर भी व्यवहार्य होगा सामुदायिक संपत्ति संसाधनों को प्रतिस्थापित किया जायेगा और यदि ऐसा नहीं है तो समूह को प्रतिस्थापना मूल्य पर सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

2.4 चौड़ा करने और सुदृढ़ करने के नियोजित मुख्य कार्य सड़क की लम्बाई में भूमि की उपलब्धता, ढलान, ट्रैफिक और जनसंख्या की भीड़ के आधार पर राइट ऑफ वे (ROW) के भीतर किया जायेगा। क्रियान्वयन के दौरान स्थानीय लोगों की गतिविधियों में होने वाले किसी भी व्यवधान को कम से कम करने के प्रयास किये जायेंगे।

2.5 अधिग्रहित भूमियों एवं संपत्तियों पर कब्जा लेने से पहले समस्त मुआवजे, पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास को इस नीति के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

2.6 विस्थापित होने के मामले में पुर्नस्थापना साइटों को परियोजनाओं के हिस्से के रूप में विकसित किया जायेगा। ऐसे मामलों में सावधानी रखी जायेगी ताकि मेजबान समुदायों पर विस्थापना के कोई विपरीत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव न पड़े या कम से कम पड़े और इस प्रकार के प्रभावों का शमन करने के लिए पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास कार्य योजना (RAP) में विशेष उपायों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2.7 अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने से पहले फसल की कटाई करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जायेगा।

2.8 पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास कार्य योजना (RAP) के क्रियान्वयन को सिविल कार्यों के साथ तालमेल में किया जायेगा।

2.9 परियोजना सुनिश्चित करेगी कि इस नीति के अनुसार प्रभावित जनसंख्या को मुआवजा और सहायता उपलब्ध कराये जाने से पहले कोई भी सिविल कार्य आरंभ न किया जाये।

3. शब्द संक्षेप एवं शब्द

प्रयुक्त शब्द संक्षेप

BPL	गरीबी रेखा से नीचे
SOR	दरों की अनुसूची
CBO	समुदाय आधारित संगठन
COI	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट
CPR	सामान्य संपत्ति संसाधन

DC	जिला कलैक्टर
EP	पात्र व्यक्ति
HCA	गृह निर्माण भत्ता
NGO	गैर सरकारी संगठन
PAP	परियोजना से प्रभावित व्यक्ति
PAF	परियोजना से प्रभावित परिवार
PDP	परियोजना से विस्थापित व्यक्ति
PDF	परियोजना से प्रभावित परिवार
PIU	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई
RFCLAR&R	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
PWD	सार्वजनिक निर्माण विभाग
R&R	पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास
RAP	पुनर्वास कार्य योजना
ROW	राइट ऑफ वे
RRO	पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास
SLAO	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी
SES	सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
SC/ST	अनुसूचित जीति एवं अनुसूचित जनजाति
u/s	धारा के अंतर्गत
SIA	विशेष प्रभाव मूल्यांकन
RAY	राजीव आवास योजना

शब्द

गरीबी रेखा से नीचे	-	सभी स्त्रोतों से होने वाली सालाना आय, भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा नियत राशि से कम है।
कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट	-	सड़क के उन्नयन के लिए आवश्यक भूमि की चौड़ाई।
विकास खंड	-	खंड विकास अधिकारी के प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप मे ग्रामीणों का एकत्र हुआ समूह।
जिला कलेक्टर	-	जिले का प्रशासनिक प्रमुख

4. परिभाषाएं

कट ऑफ तिथि	-	i) भूमि अधिग्रहण के कानूनी टाइटल धारकों को प्रभावित करने की दशा में कट ऑफ तिथि RFCLAR&R अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत आरंभिक अधिसूचना के प्रकाशन को जारी करने की तिथि होगी।

ii) गैर टाइटिल धारकों के लिए कटऑफ तिथि जनसंख्या सर्वेक्षण की तिथि होगी।

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति - वह व्यक्ति जो परियोजना के निर्माण के कारण अपनी घरेलू भूमि और उस के आगे बने किसी ढाँचे, व्यापार एवं रोजगार सहित अपनी भूमि के संबंध में प्रभावित होता है।

परियोजना से विस्थापित व्यक्ति - वह व्यक्ति जिसको परियोजना के कारण अपने निवास स्थान और/या कारोबार के कार्यस्थल को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

परियोजना से विस्थापित परिवार- परिवार में कोई व्यक्ति, उसका जीवनसाथी, अव्यस्क बच्चे, अव्यस्क भाई और अव्यस्क बहनें होती हैं जो उस पर निर्भर हैं। यह भी उपलब्ध कराया गया है कि विधवाओं, विधुरों और परिवारों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को अलग परिवार माना जायेगा।

व्याख्या- जीवन साथी या बच्चों या आश्रितों के बिना किसी भी लिंग के व्यस्क व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अलग परिवार माना जायेगा।

भूस्वामी - "भूस्वामी" में ऐसा व्यक्ति शामिल है-

(i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकरण के रिकार्ड में भूमि या भवन या उसके किसी हिस्से के मालिक के रूप में दर्ज है, या

(ii) कोई व्यक्ति जिसको अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्यनिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 या इस समय प्रभावी किसी अन्य कानून के तहत अधिकार प्रदान किये जाते हैं, या

(iii) जो निर्दिष्ट भूमियों सहित भूमि पर राज्य के किसी भी कानून के तहत पट्टा अधिकारों को प्रदान किये जाने के लिए पात्र हैं, या

(iv) कोई व्यक्ति जिसको अदालत या प्रधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है।

सीमान्त किसान - सीमान्त किसान का तात्पर्य उस उत्पादक से है जिसके पास एक हेक्टेयर तक असिंचित भूमि या आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि है।

छोटे किसान - छोटे किसान का तात्पर्य उस उत्पादक से है जिसके पास 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि या 1 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि है लेकिन सीमान्त किसान की होल्डिंग से अधिक है।

अतिक्रमणकारी - कोई व्यक्ति जिसने अपनी भूमि या परिसंपत्ति के अगल-बगल ऐसी सरकारी/निजी/सामुदायिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिसके लिए वह पात्र नहीं है और जो कट ऑफ तिथि से

पहले वहाँ से अपनी अजीविका और आवास का लाभ ले रहा हो।

अवैध निवासी	-	अवैध निवासी वह व्यक्ति होता है जो आवास या अजीविका के लिए बिना अनुमति सार्वजनिक स्वामित्व वाली भूमि पर बस गया है और जिसने कट ऑफ तिथि से पहले बिना किसी प्राधिकार के सार्वजनिक स्वामित्व वाले भवन को घेर लिया है।
भूमिहीन/कृषि श्रमिक	-	कोई व्यक्ति जिसके पास खेती की कोई जमीन नहीं है और जो अपनी मुख्य आमदनी को कट ऑफ तिथि से पहले दूसरों की जमीनों पर उप किरायेदार या कृषि मजदूर के रूप में काम करके कमाता है।
गरीबी रेखा से नीचे	-	कोई परिवार जिसकी सभी स्त्रोतों से होने वाली आय भारत के योजना आयोग द्वारा नियत राशि से कम होती है उसे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) माना जाता है।
कमजोर व्यक्ति	-	कमजोर समूह में यह शामिल हो सकते हैं परन्तु इन तक ही सीमित नहीं हैं- क. वह लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति समुदाय के सदस्य ग. स्त्री मुखिया वाले परिवार घ. वरिष्ठ नागरिक - 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ङ भूमिहीन च. ग्रामीण कारीगर *PAP में परियोजना से विस्थापित व्यक्ति शामिल होते हैं परन्तु सभी PAP शायद विस्थापित व्यक्ति न हों।

5. वृहद प्रक्रियाएं

5.1 बुनियादी दृष्टिकोण

क) यह नीति मानती है कि बुनियादी ढाँचे के विकास के सकारात्मक पहलू के साथ-साथ नकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी होते हैं।

ख) नीति का सिद्धांत PDP और PAP, दोनों को R&R सहायता उपलब्ध कराना है।

ग) परियोजना को डिजाईन करने और तैयार करने के दौरान भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को कम से कम करने के लिए तथा नकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। COI के बाहर और ROW के भीतर पड़ने वाले ढांचों/परिसंपत्तियों को बिना कोई व्यवधान किये छोड़ दिया जाना चाहिए।

घ) जो लोग अपना मकान खोते हैं वह पुर्नस्थापना कार्यक्रम में विशेष चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि नया आवास लोगों को विस्थापित किये जाने से पहले उपलब्ध हो जाए।

ङ) यदि परियोजना के प्रभाव के कारण लोग अपने पुराने व्यवसाय को जारी रखने में असमर्थ हैं तो परियोजना वैकल्पिक रोजगार रणनीतियों के तहत समर्थन और सहायता उपलब्ध कराएगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार परामर्श, आय अर्जन योजनाओं, और ऋण तक पहुँच इत्यादि जैसी रणनीतियों के माध्यम से दीर्घकालीन आय के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

च) भूमि के कानूनी टाइटल की अनुपस्थिति लोगों के लिए पुनर्वास सहायता में कोई बाधा नहीं होगी। हालाँकि, भूमि के लिए मुआवज़ा अतिक्रमणकारियों और अवैध निवासियों को उनके कब्जे की गैरकानूनी प्रकृति को देखते हुए नहीं दिया जाएगा।

छ) यदि अतिक्रमणकारियों और अवैध निवासियों के पास राशन कार्ड नहीं है तो ऐसे मामलों में उनकी पहचान के लिए मतदाता सूची, या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज या समुदाय से जानकारी की आवश्यकता होगी। किसी भी समर्थक कानूनी दस्तावेज की अनुपस्थिति में जनगणना सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर भरोसा किया जाएगा।

ज) परियोजना के नियोजन, क्रियांवयन एवं निगरानी में केंद्रित समूह चर्चा, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों, गैर सरकारी संगठनों एवं अंशधारकों के साथ परामर्श, उनकी संलिप्तता एवं भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। PAP और विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों एवं समूहों के मामले में, जिनको उन विकल्पों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें सबसे कम जोखिम होता है।

झ) इस दस्तावेज की प्रतिलिपियों, इसकी मुख्य विशेषताओं पर जानकारी या इसके कार्यकारी सारांश को परियोजना प्राधिकरण के कार्यालयों के सूचना पट्टों एवं जनता की सामान्य जानकारी के लिए खास-खास सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जायेगा। स्थानीय भाषा में अनुवाद किये गये पात्रता फ्रेमवर्क के साथ नीति के सारांश को प्रभावित व्यक्तियों को वितरित किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए परियोजना प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं।

ञ) प्रत्येक PAP को R&R सहायता, परिशिष्ट 1 में परिभाषित उनकी संबंधित पात्रता के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

5.2 मुआवजा एवं **R&R**

क) सभी पात्र PAP RFCLAR&R अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राप्त किये गये मुआवजे के अतिरिक्त R&R सहायता के लिए पात्र होंगे। जो PAP मुआवजे के लिए पात्र नहीं हैं (अतिक्रमणकारी एवं अवैध निवासी), वे इस नीति के अंतर्गत अपनी पात्रता के अनुसार R&R प्राप्त करेंगे।

ख) भूमि एवं भवन के लिए मुआवजा RFCLAR&R अधिनियम 2013 की परिधि के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा और प्रतिस्थापन मूल्य को पूरा करने के लिए R&R सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

ग) आमदनी के नुकसान सहित सभी प्रकार के नुकसानों की प्रतिपूर्ति पात्रता फ्रेमवर्क के अनुसार समग्र R&R पैकेज के तहत की जायेगी। पात्रता की ईकाई अनुभाग 4.0 की परिभाषा के अनुसार परिवार होगी।

घ) मकानों/सामुदायिक भवनों/अन्य किसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में प्रतिस्थापन मूल्य पर विचार किया जायेगा। यदि प्रतिस्थापन मूल्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव पर निर्धारित किये गये मुआवजे से अधिक है तो अंतर का भुगतान सहायता के रूप में किया जायेगा।

ङ) मुआवजे एवं सहायता के लिए पात्रता का विस्तार केवल उन्हीं PAP के लिए किया जायेगा जिनकी पहचान कट ऑफ तिथि या उससे पहले कर ली गयी है। R&R सहायता के संबंध में दावों का निपटान शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

5.3 सामान्य सहायता

क) अपना नाम अपने पुनर्स्थापित क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कराने में विस्थापित जनसंख्या को सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

ख) कमजोर समूहों के अंतर्गत आने वाले PAP को विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन सहित अनेक साधनों के माध्यम से विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त शमनकारी उपायों का वर्णन विस्तार से RAP में किया जाएगा।

ग) पुर्नस्थापना साइटों पर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए प्रावधान किये जायेंगे।

घ) जमीन के मलबे के लिए डंपिंग साइटों को समुदाय के साथ विचार विमर्श करके चिन्हित किया जाएगा।

ङ) परियोजना सुनिश्चित करेगी कि निर्माण चरण के दौरान PAP को में ठेकेदारों के साथ रोजगार में वरीयता मिले।

6 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं पुर्नस्थापना नियोजन

6.1 कॉरिडोर ऑफ इम्पैक्ट

विस्थापन सड़क के लिए आवश्यक कॉरिडोर तक ही सीमित होगा जिसमें सुरक्षा जोन शामिल है। इस कॉरिडोर को कॉरिडोर ऑफ इम्पैक्ट (COI) के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसमें आमतौर पर नाले/पुश्ते, ढलान सहित पूर्ण निर्माण चौड़ाई शामिल होती है। COI का सड़क की बीच की रेखा से दाईं और बाईं ओर अलग-अलग विस्तार हो सकता है और इसमें भिन्नता हो सकती है क्योंकि विपरीत प्रभावों से बचने/उनको कम करने की सामाजिक आवश्यकता है।

6.2 सर्वेक्षण

परियोजना से प्रभावित और विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास के लिए सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जायेगा। इससे विस्थापन के परिमाण, PDP एवं PAP द्वारा सहन किये जाने वाले नुकसान का मूल्यांकन करने, आघात योग्य समूहों को बेहतर तरीके से लक्षित करने, R&R की लागत का पता लगाने, पुनर्वास पैकेज को तैयार करने और उसको लागू करने में मदद मिलेगी।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण में PAP, सामाजिक प्रभाव के प्रकार एवं परिमाण के चिन्हीकरण हेतु जनगणना एवं आधारभूत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण दोनों भाामिल होगें।

6.2.1 इस जनगणना का उद्देश्य परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के भीतर संभावित रूप से प्रभावित जनसंख्या की स्थिति, जनसांख्यिकी, PAP का सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइल का पंजीकरण करना और उसका प्रलेखन करना है तथा सड़कों के किनारे व्यक्तियों, समुदायों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को इंगित करने वाले स्ट्रिप मानचित्रों को तैयार करना है।

जहाँ धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना को धारा 7 के अंतर्गत विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को जमा किये जाने के बाद समीक्षा की तिथि से 12 माह के अन्दर जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी रिपोर्ट को कालातीत माना जायेगा और धारा 11 के अंतर्गत अधिग्रहण करने से पूर्व एक नया सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार को 12 माह की अवधि में विस्तार करने की शक्ति होगी यदि इसकी राय में उसको न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए परस्थितियाँ मौजूद हों, बशर्ते आगे की अवधि में विस्तार करने के ऐसे निर्णय को लिखित में दर्ज किया जाएगा और इसको अधिसूचित किया जायेगा तथा सम्बंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

जनगणना में निम्नलिखित की जानकारी का एकत्रीकरण भी शामिल होगा-

क) उत्पादन के तरीकों और उसकापरिमाण, उपभोग पैटर्न, सम्बंधित आर्थिक संस्थानों एवं विभिन्न उत्पादक संसाधनों के आवंटन सहित प्रभावित व्यक्तियों का आर्थिक आधार।

ख) PAP के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति एवं उनके कब्जे/उपयोग में अन्य संसाधनों सहित अचल संपत्ति को शामिल करते हुए पारिवारिक जनगणना। इन सर्वेक्षणों को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय एवं मेजबान समुदायों के सहयोग से किया जायेगा। उत्पादित डाटा को लिंग के आधार पर विसमूहित किया जाएगा।

ग) सामाजिक संरचना मानक, परम्पराएं, सांस्कृतिक केंद्र, नेतृत्त्व के पारंपरिक पैटर्न और सोशल नेटवर्किंग के संस्थान एवं सामुदायिक सम्पति संसाधनों (CPR) पर जो प्रभाव पडेगें।

घ) जनगणना में प्रथम दृष्टया किरायदारों, बटाईदारों, अतिक्रमणकारियों, अवैध निवासियों एवं कृषि श्रमिकों को चिन्हित किया जाएगा। यह PDP, अल्पसंख्यकों एवं निर्बल वर्ग के लोगों को भी चिन्हित करेगी।

6.2.2 आधारभूत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी को एकत्रित किया जाएगा –

क) परियोजना क्षेत्र का सटीक एवं नवीनतम मानचित्र।

ख) जनसंख्या की सामाजिक संरचनाओं एवं आमदनी के संसाधनों एवं खर्च के पैटर्न का विश्लेषण।

ग) स्वास्थ्य, आवासों की विकास प्रक्रिया, कर्ज इत्यादि पर जानकारी।

घ) PAP द्वारा प्रयोग किये जाने वाले संसाधनों की इन्वेंटरी और साथ ही उनके आर्थिक उत्पादन तंत्र पर डाटा।

ङ) जनजातियों का अन्य स्थानीय समूहों के साथ सम्बन्ध। आधाररेखा अध्ययनों में उत्पादन एवं उन विपणन गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें PAP सामान्य रूप से एवं जनजाति विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

6.3 पुनर्वास कार्य योजना

क) जनगणना जो जो प्रभावित लोगों के बारे में आधारभूत सामाजिक–आर्थिक जानकारी उपलब्ध कराती है, को RAP को अंतिम रूप देने की शुरुआत करने से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

ख) परियोजना अधिकारी द्वारा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर पुर्नस्थापना के लिए एक समग्र योजना अग्रिम में ही तैयार की जायेगी। पुर्नस्थापना के लिए पूरी योजना को परियोजना प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों NGO/CBO एवं PAP के प्रतिनिधियों सहित समस्त अंशधारकों के साथ विचार विमर्श से तैयार किया जायेगा।

ग) RAP को स्थानीय गैर सरकारी संगठन, PAP के प्रतिनिधियों एवं मेजबान समुदायों की मदद से विस्थापित एवं प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी में लाया जाना चाहिए ताकि वे अपने सुझाव दे सकें।

घ) पूरा किये गये RAP,में प्रभावित लोगों की जनगणना, नुकसानों को बहाल करने के लिए उनकी पात्रता, बजट, संस्थागत तंत्र एवं कार्यों की अनुसूची, आमदनी को बहाल करने के तंत्र की व्यवहार्या एवं शिकायत निवारण के लिए उपाय तथा परिणामों की सहभागी निगरानी शामिल होंगे।

7 भूमि एवं अन्य अचल संपत्तियों का अधिग्रहण

विकल्प I

RFCLAR&R अधिनियम 2013 का उप नियम 46 – प्रत्यक्ष क्रय

- परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पार्सलों को स्थानीय राजस्व अधिकारियों के मालिकों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त खरीदा जाना
- ऐसे भू मालिकों की सूची प्रत्यक्ष क्रय के लिए जिला अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी जो खरीदारी के प्रयोजन के लिए इच्छुक हैं। प्रत्यक्ष क्रय के लिए एक समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग–13 दिनांक 19-03-2015 के अनुसार स्थापित की जायेगी।
- भूमि की आधार कीमत RFCLAR&R, 2013 के अनुसार होगी।
- दर को अंतिम रूप समिति द्वारा दिया जायेगा।
- सहमत हुई दर में R&R सहायता शामिल नहीं होगी

  (क) आश्रय के नुकसान के कारण विस्थापित होने वाला कोई भी PAP पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार R&R सहायता के लिए पात्र होगा (परिशिष्ट I)।

  (ख) जहाँ अधिग्रहण के पश्चात भूमि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाती है, वहां कोई भी PAP पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार R&R सहायता के लिए पात्र होगा (परिशिष्ट I)।
- नियम एवं प्रक्रियायें उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग–13 दिनांक 19-03-2015 एवं समय समय पर संशोधित शासनादे I के अनुसार होगें।

विकल्प II

7.1 मुआवजे के भुगतान के लिए भूमि के सर्वेक्षण नवीनतम आधिकारिक अभिलेखों एवं जमीनी तथ्यों के आधार पर किये जायेगें। टाइटल/वर्गीकरण/भूमि के मौजूदा उपयोग के संबंध में भूमि के अभिलेखों को पर्याप्त लागत मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से अद्यनीकृत किया जायेगा। वर्गीकरण/भूमि के मौजूदा उपयोग का निर्धारण करने के लिए आधिकारिक अभिलेखों को कट ऑफ तिथि की स्थिति में ही संज्ञान में लिया जाएगा।

7.2 यदि अवशेष भूमि , सिंचित भूमि के मामले में 0.5 हेक्टेयर तथा असिंचित भूमि के मामले में 1.0 हेक्टेयर से कम है और बचा हुआ ढाँचा रहने योग्य नहीं है तो ऐसी भूमि/संपत्ति के मालिक के पास अपनी पूरी निकटवर्ती होल्डिंग/संपत्ति के अधिग्रहण की मांग करने का अधिकार होगा।

7.3 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि एवं संपत्तिओं के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थपना एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

7.4 PDP सहित PAP के मकानों, भवनों एवं अन्य अचल संपत्तियों के मूल्य को मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य के लिए बिना अवमूल्यित मूल्य को कम किये प्रासंगिक SOR पर निर्धारित किया जायेगा।

7.5 समुदाय से संबंधित संपत्तियों या पूजा के उन सामान्य स्थानों के लिए मुआवजा जिनको परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाता है, उनका निर्माण नये स्थान पर स्थानीय स्वःशासित निकायों द्वारा किये जाने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा या इसको परियोजना द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7.6 पेड़ों के लिए मुआवजा , इमारती लकड़ी वाले पेड़ों के मामले में उनकी बाजार कीमत पर आधारित होगा और फलदार पेड़ों के मामले में प्रतिस्थापन लागत कृषि, वन, बागवानी, रेशम उत्पादन इत्यादि विभाग, जैसा भी मामला हो, के साथ परामर्श में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की गयी दरों के अनुसार होगा।

7.7 मुआवजे का भुगतान भूमि/संपत्तियों पर कब्जा लेने से पहले किया जायेगा और PAP/PDP के R&R को पूरा करने के लिए प्रयास किये जायेंगे। PDP और PAP अधिग्रहित भूमि एवं संपत्तियों को गिरवी, ऋण इत्यादि जैसे ऋण भारों से मुक्त कर सरकार को सौंप देंगे। हालांकि ऐसी अधिग्रहित भूमि एवं संपत्ति पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा PAP को दिये गये किसी ऋण के मामले में PAP या ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार असमायोजित रहने पर ऐसी राशियों को कुल मुआवजे में से काट लिया जायेगा।

<u>अधिग्रहित संपत्तियों का निस्तारण-</u>

7.8 अधिग्रहित भूमि एवं संपत्तियाँ ऐसी भूमियों/संपत्तियों के लिए भुगतान करने वाले विभाग/संगठन के अधिकार में होंगे।

7.9 मुआवजे के भुगतान के बाद भी PDP एवं PAP को बची हुई सामग्री के निस्तारण की अनुमति परियोजना द्वारा अधिग्रहित अपने मकानों, दुकानों इत्यादि से करने की अनुमति दी जायेगी और इसके लिए सरकार से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। परियोजना प्राधिकरण लोगों को बचे हुए माल को नोटिस जारी करने के 15 दिनों के अंदर हटाने के लिए नोटिस देंगे।

7.10 सरकार PDP को बची हुई सामग्री एवं अन्य सामानों को वैकल्पिक साइट पर ले जाने में उपलब्ध करायेगी।

7.11 प्रभावित व्यक्तियों को या तो उनके पेड़ों के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए या उनको कटे हुए पेड़ों को ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

8 पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास

8.1 निर्बल व्यक्तियों को भूमि मुआवजे के लिए कृषि भूमि धारा 7.3 की परिभाषा के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

8.2 यदि 25 EP द्वारा मकान के लिए तथा 15 EP द्वारा दुकानों के लिए विकल्प दिया जाता है तो नई पुर्नस्थापना साइटों को आवासीय/शॉपिंग परिसरों के साथ विकसित किया जाना चाहिए। हालांकि जहाँ PDP ऐसी साइट का विकल्प नहीं देते हैं और नकदी को पसंद करते हैं, वहाँ PDP को बुनियादी ढ़ाँचागत विकास में आने वाली लागत के लिए पर्याप्त सहायता दी जायेगी।

8.3 नई पुर्नस्थापना साइटों पर कृषि भूमि/मकान/दुकान के लिए प्लॉट पति एवं पत्नी के सयुंक्त नाम में निःशुल्क दिये जायेंगे। इसके लिए आने वाली पंजीकरण लागत को परियोजना प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो, नई पुर्नस्थापना साइट मूल आश्रय के निकट होगी।

8.4 नये पुर्नस्थापना केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध मूलभूत नागरिक सुविधाएं, जैसे पीने का पानी आन्तरिक एवं लिंक सड़कें, चिकित्सा सुविधाएं, स्कूल, बिजली इत्यादि को उन अन्य सुविधाओं के साथ PDP को उपलब्ध कराया जायेगा जो उनके पास अपने त्यजित स्थान पर मौजूद थीं।

8.5 सड़क को चौड़ा करने एवं उसका उन्नय करने के कारण सार्वजनिक भूमि एवं अन्य संपत्तियों तक पहुँच को खोने वाले व्यक्तियों को पात्रता फ्रेमवर्क में प्रक्रियाओं के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

8.6 पुर्नस्थापना के दौरान प्रभावित परिवारों की ओर व्यक्तिगत एवं व्यक्तिकृत ध्यान दिया जायेगा। मुख्य ध्यान पुर्नस्थापना में होने वाली संक्रमण अवधि को कम करने पर होगा।

8.7 सभी PAP को पहचान कार्ड जारी किये जायेंगे ताकि उनके वास्तविक दावे को स्थापित किया जा सके।

8.8 पुनर्वास सहायता

क) प्रभावित परिवारों को एक मू त पुर्नस्थापना भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा।

ख) प्रभावित लोगों को गुजारा अनुदान एवं परिवहन लागत उपलब्ध कराई जायेगी।

ग) पुनर्वास सहायता के रूप में कौशलों के उन्नयन या आय अर्जन से संबंधित उन्नयन के लिए प्रशिक्षण उपल्ब्ध कराया जायेगा।

8.9 जनजातियों के संबंध में R&R गतिविधियों को अनकी जरूरतों एवं माहौल के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। जनजातीय PDP और PAP के पारम्परिक अधिकार एवं पद्धा प्रणाली को संरक्षित किया जाना चाहिए।

9 निगरानी एवं परियोजना के उपरांत मूल्यांकन

R&R कार्य के क्रियान्वयन के पूरा होने पर परियोजना प्राधिकरण पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास गतिविधियों तथा PAP एवं मेजबान जनसंख्या पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की निगरानी करेंगे। परियोजना को तैयार करने के दौरान किया गया सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण परियोजना के उपरांत की अवधि में PAP की सामाजिक-आर्थिक दशा की तुलना करने के लिए बेंचमार्क उपलब्ध कराएगा। जहाँ परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं की नियमित निगरानी परियोजना प्राधिकरणों द्वारा की जाएगी, वहीं पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास क्रियान्वयन प्रक्रिया का सालाना, मध्य सत्रीय एवं सत्रांत मूल्यांकन PAP के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ किसी बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को R&R कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए RAP/संशोधित RAP में शामिल किया जाएगा।

10 संघटनात्मक ढांचा

परियोजना में R&R प्रकोष्ठ होगा जिसमें एक पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास अधिकारी (RRO) तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई पर सहायक अभियंता दर्जे का भूमि अधिकारी होगा। RRO और राजस्व अधिकारी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्थापित जिला स्तरीय समितियों के साथ R&R तथा भूमि अधिग्रहण गतिविधियों का समन्वय करेंगे।

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (DC) R&R प्रकोष्ठ का प्रमुख होगा जिसको लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता एवं विभिन्न लाइन विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग दिया जायेगा। जिला स्तरीय समितियां संपत्ति के बाज़ार मूल्य का मूल्यांकन करेंगी और तथानुसार R&R प्रकोष्ठ को सलाह देंगी और साथ ही पुर्नस्थापना के सामाजिक पहलुओं के सम्बन्ध में किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में भी सलाह देंगी।

11 लागत एवं बजट

सभी मुआवजे एवं R&R कार्यों की लागत समग्र परियोजना लागत का अटूट हिस्सा होंगे जिसको परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

12 शिकायत निवारण

शिकायत निवारण के प्रयोजन के लिए परियोजना हेतु एक प्रकोष्ट स्थापित किया जाएगा जो परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित शिकायतों का समाधान करेगा।

13 R&R नीति में संशोधन करने की गुंजाईश

राज्य सरकार नीति की सालाना समीक्षा करने के बाद इस R&R नीति में संशोधन कर सकती है।

परिशिष्ट I

पात्रता मैट्रिक्स

क्र. सं.	आवेदन	पात्रता ईकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
क. निजी कृषि, घरेलू एवं वाणिज्यक भूमि का नुकसान				
1.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) के भीतर भूमि	टाइटल धारक परिवार एवं पारम्परिक भूमि अधिकार वाले परिवार	बाजार कीमत पर मुआवजा, पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास	क. यदि उपलब्ध हो तो भूमि के लिए भूमि। या बाजार कीमत पर भूमि के लिए नकद मुआवजा, जिसका निर्धारण RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 26 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ख. यदि भूमि आवंटित की जाती है तो भूमि पति और पत्नी दोनों के नाम में होगी ग. यदि अधिग्रहण के पश्चात बची हुई भूमि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है तो भूमि स्वामी के पास बची हुई भूमि को रखने अथवा बेच देने का विकल्प मौजूद होगा। घ. भूमि के प्रतिस्थापन में होने वाले स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्कों का भुगतान परियोजना द्वारा किया जायेगा, प्रतिस्थापन भूमि को परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजे की तिथि से एक वर्ष के भीतर खरीद लिया जाना चाहिए। ङ. एक मुश्त अनुदान के रूप में रू. 36,000 का गुजारा भत्ता च. रू. 5,00,000 का एक मुश्त अनुदान या वार्षिकी छ. फसलों के नुकसान के लिए, यदि कोई है, बाजार कीमत पर मुआवजा
ख. निजी ढाँचों का नुकसान (आवासीय/वाणिज्यक)				
2.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) के भीतर ढाँचा	टाइटल धारक/मालिक	बाजार कीमत पर मुआवजा पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास सहायता	(क) ढाँचे के लिए बाजार कीमत पर नकद मुआवजा जिसका निर्धारण RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 के तहत किया जायेगा।

				ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान या उसके बदले में रू. 50,000 और शहरी क्षेत्र में RAY के तहत मकान या उसके बदले में रू. 1,00,000। यदि मकान आवंटित किया जाता है तो यह पति और पत्नी दोनों के नाम में होगा। (ख) ढाँचे को ध्वस्त करने के बाद बची हुई सामग्री पर अधिकार (ग) ढाँचे को खाली करने के लिए 3 महीने का नोटिस (घ) उपरोक्त (क) में निर्धारित किये गये के अनुसार मौजूदा बाजार कीमत पर नये वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिए स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की वापिसी। वैकल्पिक मकानों एवं दुकानों को मुआवजे के भुगतान की तिथि से 1 वर्ष के भीतर खरीद लिया जाना चाहिए। (ङ) आंशिक रूप से प्रभावित ढाँचों तथा शेष ढाँचे के व्यवहार्य रहने के मामले में ढाँचे को सही करने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त। आंशिक रूप से प्रभावित ढाँचों के मामले में जब बचा हुआ ढाँचा अव्यवहार्य हो जाता है तो मुआवजा राशि का 25 प्रतिशत अलगाव भत्ते के रूप में अतिरिक्त (च) एक मुश्त अनुदान के रूप में रू. 36,000 का गुजारा भत्ता (छ) विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार को एक बारीय रू. 50000 की वित्तीय सहायता शिफ्ट करने के भत्ते के रूप में दी जायेगी (ज) प्रत्येक प्रभावित परिवार जो विस्थापित किया जाता है और जिसके पास पशु है, उसे पशु के बाड़े के निर्माण के लिए रू. 25,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी (झ) पुनर्स्थापन सहायता के रूप मे रू. 50,000 का एक बारीय अनुदान। (ञ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है और जिसको विस्थापित किया जाता है (इस परियोजना में किसी आवासीय सह वाणिज्यक ढाँचे का मालिक) वह काम

				करने के बाड़े या दुकान का निर्माण करने के लिए रू. 25,000 की एक बारीय वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। (ट) रू. 5,00,000 का एक बारीय अनुदान
3.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) के भीतर ढाँचा	किरायेदार/पट्टाधारक	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास सहायता	क. पंजीकृत पट्टाधारक लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार ढाँचे के मालिक को भुगतान किये जाने वाले मुआवजे के हिस्से के पात्र होंगे ख. किरायेदारों के मामले में शिफ्ट करने के भत्ते के रूप में रू. 50,000 के साथ-साथ 3 माह का लिखित नोटिस दिया जायेगा।
ग. पेड़ों एवं फसलों का नुकसान				
4.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) के भीतर खड़े पेड़, फसलें	मालिक एवं लाभार्थी (पंजीकृत/अपंजीकृत किराएदार, अनुबंधित उत्पादक, पट्टाधारक एवं फसल में साझेदार	बाजार मूल्य पर मुआवजा	क. परियोजना से प्रभावित लोगों को फलों, खड़ी हुई फसलों एवं पेड़ों को हटाने के लिए तीन महीने का एडवान्स नोटिस। ख. निम्न के द्वारा अनुमानित दरों पर मुआवजे का भुगतान: (i) लकड़ी वाले पेड़ों के लिए वन विभाग (ii) फसलों के लिए राजकीय कृषि विभाग (iii) फलदार/फूलदार पेड़ों के लिए उद्यान विभाग ग. पंजीकृत किराएदार, अनुबंधित उत्पादक, पट्टाधारक एवं फसल में साझेदार मालिक व लाभार्थी के बीच हुए अनुबंध दस्तावेज के अनुसार फसलों एवं पेड़ों के मुआवजे के पात्र होंगे। घ. अपंजीकृत किराएदार, अनुबंधित उत्पादक, पट्टाधारक एवं फसल में साझेदार पेड़ों एवं फसलों में मालिक व लाभार्थी के बीच हुए आपसी समझौते के अनुसार मुआवजे के पात्र होंगे।
घ. गैर पात्र धारकों को आवासीय/वाणिज्यिक ढांचों का नुकसान				
5.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) या	परियोजना जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार पहचान किए गए ढांचों के मालिक या	पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास सहायता	क. निर्बलवर्ग के अतिक्रमण करने वालों को कब्जायी गई जमीन को खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया

	सरकारी जमीन के भीतर ढाँचे	निवासी		जाएगा। ख. निर्बलवर्ग अतिक्रमण करने वालों को ढांचे के नुकसान के लिए RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 के तहत निर्धारित प्रतिस्थापन मूल्य पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ग. गैर निर्बलवर्ग के रुप में चिन्हित अतिक्रणकारी जिसके प्रयुक्त ढांचे का 25 प्रतिशत प्रभावित हो रहा है , उसे नुकसान के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । राशि का निर्धारण RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार किया जाएगा। घ. सभी अवैध निवासियों को उनके ढांचे के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद सहायता उपबल्ध कराई जाएगी जिसका निर्धारण RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार किया जाएगा। ङ. सभी अवैध निवासी (कियोस्क के अलावा) गुजारे भत्ते के रूप में एक मुश्त रू. 36,000 के अनुदान के पात्र होंगे। च. कियोस्क के अलावा सभी अवैध निवासियों को प्रति परिवार स्थायी ढांचे के लिए रू. 50,000, अर्ध स्थायी ढांचे के लिए रू. 30,000 और अस्थायी ढांचे के लिए रू. 10,000 का एक मुश्त शिफ्टिंग भत्ता दिया जाएगा। छ. प्रत्येक प्रबावित व्यक्ति जो ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वःनियोजित व्यक्ति है, उसे काम के बाड़े या दुकान के निर्माण के लिए रू. 25,000 की सहायता। ज. कियोस्क के मामले में, एक मुश्त अनुदान के रूप में केवल रू. 5,000 का भुगतान किया जाएगा।
ड. आजीविका का नुकसान				
6.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) के भईतर रहने वाले	टाइटल धारक/गैर टाइटल धारक/साझे में फसल उगाने वाले, कृषि श्रमिक एवं	पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास सहायता	क. एक मुश्त अनुदान के रूप में रू. 36,000 का गुजारा भत्ता। (उपरोक्त 1(च), 2 (च) और 5 (ङ) के

	परिवार	कर्मचारी		तहत शामिल PAP इस सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे)। ख. प्रत्येक परिवार आय सृजन के लिए रू. 10,000 की प्रशिक्षण सहायता। ग. परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए निर्बल समूह पर विशेष ध्यान देते हुए परियोजना ठेकेदार द्वारा निर्माण के दौरान परियोजना के निर्माण कार्य में यथासंभव अस्थायी रोजगार।
च. आघात योग्य परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता				
7.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) के भीतर परिवार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, डब्ल्यूएचएच परिवार	पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास सहायता	रू. 50,000 की एक मुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता खंड 5 के तहत शामिल अवैध निवासी एवं अतिक्रमणकारी इस सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
छ. सामुदायिक बुनियादी ढांचे/सामान्य संपत्ति संसाधनों का नुकसान				
8.	कॉरिडॉर ऑफ इंपैक्ट (COI) के भईतर ढांचे एवं अन्य संसाधन (जैसे, भूमि, पानी, ढांचे तक पहुंच इत्यादि)	प्रभावित समुदाय एवं समूह	सामुदायिक ढांचे एवं सामान्य संपत्ति संसाधनों का पुर्ननिर्माण	समुदाय के साथ विचार विमर्श करके सामुदायिक ढांचे एवं सामुदायिक संपत्ति संसाधनों का पुर्ननिर्माण।
झ. निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
9.	निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित भूमि एवं परिसंपत्तियां	भूमि एवं परिसंपत्तियों के मालिक	निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित, जैसे सामान्य ट्रैफिक का डायवर्जन, भारी मशीनरी एवं संयंत्र स्थल के मूवमेंट के कारण भूमि/परिसंपत्ति के सन्निकट पार्सल को क्षति के लिए मुआवजा	परिसंपत्तियों, फसलों और किसी अन्य क्षति के लिए नुकसान हेतु मुआवजे का भुगतान ठेकेदार द्वारा ठेकेदार एवं प्रभावित पक्ष के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार किया जाएगा।
ञ. पुर्नस्थापन साइट				
11	आवासीय ढांचे का नुकसान	विस्थापित टाइटल धारक एवं गैर टाइटल धारक	पुर्नस्थापन साइट/विक्रेता बाजार का प्रावधान	यदि परियोजना से विस्थापित कम से कम 25 परिवार पुनर्स्थापन के लिए विकल्प देते हैं तो पुर्नस्थापन साइटों को परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जाएगा। निर्बल PAP को पुनर्स्थापन साईट पर प्लाट/फ्लैटों के आवंटन में वरीयता दी जाएगी। प्लाट का

				साइज़ नुकसान के समतुल्य होगा जो अधिकतम RFCTLARR अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधान के अधीन होगा। मूलभूत सुविधाओं को परियोजना द्वारा पुनर्स्थापन साईट पर RFCTLARR अधिनियम 2013 के तीसरे अनुछेद में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार यदि कम से कम 25 विस्थापित वाणिज्यिक संस्थान (छोटे व्यापारिक उद्यम) दुकान की इकाइयों का विकल्प देते हैं तो परियोजना प्राधिकरण वेन्डर मार्केट को उपयुक्त स्थान पर आसपास के क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करके विकसित करेगा। रास्ते की सड़क, बिजली का कनेक्शन, पानी एवं सफाई सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाओं को परियोजना द्वारा वेन्डर मार्केट में उपलब्ध कराया जायेगा। निर्बल वर्ग के PAP को वेन्डर मार्केट में दुकानों के आवंटन में वरीयता दी जाएगी। एक विस्थापित परिवार पुनर्स्थापन साईट पर केवल भूमि के एक प्लाट या वेन्डर मार्केट में एक दूकान के लिए पात्र होगा।